न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

क्रमांक : एफ ( )वाचक / Case No. 1 /2021/ 53-55 दिनांक 29 जनवरी, 2021

आदेश

थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर द्वारा प्रथम सूचना रिर्पोट संख्या 15/2021 दिनांक 08.01.2021 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनिमय) अधिनियम 1995 की धारा 3,5,6,8,9 ,पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 तथा एमवी एक्ट में दर्ज कर बताया कि दिनांक 08.01.2021 को ट्रक नंबर आर जे 09 जी.सी 3363 में 43 बैल तथा 15 गाय महाराष्ट्र ले जाये जा रहे थे। जिन्हे जप्त कर प्रकरण में अनुसंधान जारी है। उक्त 43 बैल तथा 15 गाय को सुरक्षा एवं चराई के लिए प्रकरण के अन्तिम निस्तारण तक बॉसवाडा जिला गौ सेवा संघ मदारेश्वर रोड बॉसवाडा (पंजीयन क्रमांक 10/63-64 एवं 115/94) को सुपुर्द करने प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अतः राजस्थान, गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनिमय) अधिनियम, 1995 की धारा 7 के तहत् जप्तशुदा 43 बैल तथा 15 गाय को सक्षम न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय होने तक प्रबन्धक, बॉसवाडा जिला गौ सेवा संघ मदारेश्वर रोड बॉसवाडा (पंजीयन क्रमांक 10/63-64 एवं 115/94) को सुपुर्द करने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त जप्त शुदा 43 बैल तथा 15 गाय की चराई, सुरक्षा एवं देखभाल की पूर्ण जिम्मेदारी प्रबन्धक, जिला गौ सेवा संघ मदारेश्वर रोड बॉसवाडा की होगी। जब्तशुदा गोवंश की वीडियोग्राफी भी सुपुर्दगी के समय करवायी जावे। सम्बन्धित न्यायालय द्वारा उक्त पशुओं को तलब करने पर न्यायालय में पेश करने के लिए प्रबन्धक, जिला गौ सेवा संघ मदारेश्वर रोड बॉसवाडा बाध्य होगा।

(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपि :-

1. संयुक्त निदेशक, पशु पालन विभाग, बॉसवाडा
2. थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर
3. प्रबन्धक, बॉसवाडा जिला गौ सेवा संघ मदारेश्वर रोड बॉसवाडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2021.02.26 16:55:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

Scanned with CamScanner